URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (36) ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / बीएसआर प्रगति / 2015–16 जयपुर, दि. 04/01/2019

जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषयः– वर्ष 2019–20 की पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के कय नियम – 183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 से सम्बन्धित प्रकिया का समयबद्ध कियान्वयन के कम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित) वर्ष 2019–20 की नवीन दर मूल अनुसूची सामग्री दरों का निर्धारण, पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने हेतु बेसिक दरों का निर्धारण करना जाना अपेक्षित है।

इस हेतु पंचायत समिति के स्तर पर समुचित सर्वे करने, दर प्रस्तावक समिति की बेठक आयोजित करने एवं जिला दर निर्णायक समिति के स्तर पर समुचित समीक्षा उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूचि (बीएसआर) के अनुमोदन आदि की कार्यवाही निम्न समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार माह मार्च, 2019 में पूर्ण कर बेसिक दरों का ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज कराकर वित्तिय वर्ष 2019–20 के लिए पंचायत समितिवार बीएसआर दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी करवाया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावे।

क.सं.	गतिविधि	निर्धारित समय सीमा	उत्तरदायित्व
1.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करना (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	21 जनवरी, 2019	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमश विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.स.)
2.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	11 फरवरी, 2019	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमश विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.स.)
3	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा दरो का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	28 फरवरी, 2019	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमश जिला कलक्टर एवं कार्यपालक अभियंता (अभि.)
4	वर्ष 2019–20 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना।	01 अप्रेल, 2019	जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

F:\BSR Letter 2018.docx / 117

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि पत्र की प्रतिया अपने स्तर पर भी समस्त सम्बंधितों का प्रेषित करते हुये समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास / महात्मा गांधी नरेगा / पंचायती राज / जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
9. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज / महात्मा गांधी नरेगा।
10. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वॉटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
11. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एमएण्ड ई), ग्रामीण विकास ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
13. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. परियोजना अधिकारी (लेखा) / लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
16. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त राजस्थान।
18. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)